03/आ01-139/2024

I/349357/202

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– 14-01-2026

संचिका संख्या–03/आ01–139/2024 I/349357 /श्री सुजीत कुमार राउत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–1072 दिनांक 31.07.2024 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–143 दिनांक 22.08.2024 से श्री राउत से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री राउत द्वारा बचाव अभिकथन प्राप्त हुआ। समीक्षोपरांत विभागीय स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या–31 दिनांक 20.01.2025 से श्री सुजीत कुमार राउत के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालन की गयी, जिसमें अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव को संचालन पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. पूर्व संचालन पदाधिकारी श्री सतीश चन्द्र झा की बिहार सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाने के उपरांत श्री अनिल कुमार, विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा, शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. आरोप पत्र में श्री राउत के विरूद्ध अंतर्विष्ट आरोप निम्नवत् हैं –

1) संस्कृत विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान में 15 प्रतिशत कमीशन लिया जाना।
2) INDMET PRESS METAL PVT. LTD. नागपुर के पत्र सं0–24 /NAL/2024 दिनांक 09.05.2024 के द्वारा विद्यालयों को बेंच डेस्क की आपूर्ति के विरूद्ध बकाया राशि भुगतान में कमीशन मांगना।
3) आरोपी पदाधिकारी का कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल होना।

4. श्री अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा–सह–संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक संख्या–1186 दिनांक 25.11.2025 द्वारा श्री राउत के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा द्वारा आवंटन प्राप्ति की तिथि दिनांक 27.03.2024 के पूर्व ही PAYEE ID बनाकर रखा जाता तो भुगतान 31.03.2024 तक हो गया होता, परन्तु विलंब से PAYEE ID बनाने के कारण भुगतान हेतु विपत्र कोषागार कार्यालय में 31.03.2024 को Online भेजा गया, जो SERVER फेल होने से विपत्र कोषागार में समर्पित नहीं हो सका और राशि प्रत्यार्पित हो गया। इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद भी अबतक भुगतान नहीं किया गया है, जबकि यह जानकारी थी कि विषयवस्तु माननीय लोकायुक्त महोदय बिहार के आदेश से आच्छादित है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) नालन्दा की कर्तव्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा का आचरण न सिर्फ लापरवाही एवं शिथिलता से भरा हुआ है, बल्कि संदिग्ध भी हैं। संस्कृत शिक्षकों को भुगतेय राशि का विपत्र अपने निजी स्वार्थ एवं गलत मंशा से प्रेरित होकर विलंब से कोषागार भेजा गया। फलस्वरूप कर्मियों को देय

लाभ का भुगतान नहीं हो सका। दूसरे आरोप की जांच में पाया गया है कि संवेदकों के बेंच डेस्क क्रय किये जाने के उपरांत मात्र एक ही संवेदक प्रो० INDMET PRESS METAL PVT. LTD. नागपुर द्वारा उपलब्ध कराये गए सामग्री की जांच कर शेष 18,59,670/– रूपये के भुगतान के लिए 35% कमीशन की मांग जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा द्वारा की गई है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम (3) के प्रतिकूल है। प्रो० INDMET PRESS METAL PVT. LTD. नागपुर द्वारा उपलब्ध कराये गए बेंच–डेस्क की गुणवता में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने पर भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा द्वारा जांच विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए, मानकों के अतिरिक्त बिन्दुओं पर कराई गई है। जांच के क्रम में सैद्धांतिक रूप से बेंच डेस्क की भार की गणना कर उसकी तुलना अन्य संवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गए अन्य बेंच डेस्क से किया जाना नियमानुसार गलत है तथा अन्यथा मंशा को प्रमाणित करता है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा निष्कर्ष स्वरूप यह मंतव्य अंकित किया गया है कि उप विकास आयुक्त, नालन्दा–सह–अध्यक्ष, जिला निगरानी/धावा दल नालन्दा के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–1072 दिनांक 21.07.2024 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं साक्ष्यों के आधार पर श्री सुजीत कुमार राउत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) नालन्दा के ऊपर लगाये गये आरोप प्रमाणित होता है।

5. विभागीय पत्रांक–326545 दिनांक 27.11.2025 द्वारा श्री राउत से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी।

6. श्री राउत ने अपना लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें यह अंकित किया गया है कि भविष्य निधि भुगतान हेतु संस्कृत विद्यालयों के संबंधित प्रधानाध्यापकों द्वारा अधिकांश मामलों में अपूर्ण कागजात भेजे गए थे उन्हें कारण कोषागार द्वारा दिनांक 31.03.2024 के रात्रि तक भुगतान नहीं हो पाया और आवंटित राशि विभाग को लौट गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 स्वीकृति आदेश संख्या–7 दिनांक 14.05.2024 के द्वारा 4,03,99,867/– (चार करोड़ तीन लाख निन्यानवे हजार आठ सौ सड़सठ रूपये मात्र) संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत/मृत/कार्यरत कर्मियों के भविष्य निधि मद में भुगतान हेतु प्राप्त हुआ। दिनांक 21.07.2024 को कुल 87 कर्मियों का भुगतान किया जा चुका है। शेष 25 कर्मियों का भुगतान भविष्य निधि कटौती के अनुलब्धता के कारण लंबित है, जिसके लिए संबंधित प्रधानाध्यापकों को संपुर्ण कागजात समर्पित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। यह अंकित किया गया है कि विद्यालयों में बेंच–डेस्क उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा उपस्कर का गुणवत्ता मानक तय किया गया। अभियंताओं द्वारा बेंच–डेस्क की गुणवत्ता की जाँच की गई जो विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। बार–बार अनुरोध के बावजूद शिकायतकर्ता द्वारा दोषपूर्ण बेंच–डेस्क को बदला नहीं गया। चेतावनी देने पर शिकायतकर्ता ने निजी लाभ एवं गलत मंशा की पुष्टि हेतु रिश्वतखोरी का मनगढ़ंत आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की गई। जाँच प्रतिवेदन के आकलन के अनुसार 09 प्रतिशत की कटौती करते हुए शिकायतकर्ता को भुगतान किया गया।

7. इसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है जिसमें यह ज्ञात होता है कि अनुशासनिक कार्यवाही में जांच प्राधिकार के द्वारा उप विकास आयुक्त नालंदा की अध्यक्षता में

गठित जांच दल के प्रतिवेदन में पाए गए तथ्यों को सही पाया गया है। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के भविष्य निधि के भुगतान में अनावश्यक देरी से गलत मंशा का आरोप प्रमाणित पाया गया है। इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा लिखित अभ्यावेदन में अंकित कथन से भी यह आरोप सिद्ध हो रहा है कि आवंटन रहने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ तथा राशि प्रत्यर्पित हुयी जो आरोपी पदाधिकारी की कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं शिथिलता को दर्शाता है। बेंच डेस्क के भुगतान में भी की गयी देरी से आरोपी पदाधिकारी की कार्यनिष्ठा पर संदेह का मामला बनता है। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिए गए लिखित अभ्यावेदन को यथारूप स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

8. अतः श्री सुजीत कुमार राउत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा के विरुद्ध उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14(v) के अंतर्गत **"संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धियों की रोक"** की शास्ति अधिरोपित/संसूचित की जाती है।

9. उक्त पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–139/2024 i/349357 / पटना, दिनांक :– 14/01/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा.शि.)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/श्री सुजीत कुमार राउत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं आई. टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
(Manoranjan Kumar)
Date: 14-01-2026 11:52:48
निदेशक (प्रशासन)